सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-339/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

थाना मुबारकपुर का टॉप-10 व 25 हजार रूपये का ईनामिया शातिर गोकश दिलशाद पुलिस मुठभेड में गोली लगने से घायल,गोवंश व गोवंश काटने के उपकरण सहित तमंचा व कारतूत बरामद

आज दिनांक 04.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्रा व उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराहियान द्वारा विश्वस्त सूत्रो से प्राप्त सूचना कि कुछ लोग देवली मार्ग पर मिन्टु के वाउन्ड्री में गोवंश काटने हेतु ले जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुच कर छिपकर देखा गया तो वहा तीन व्यक्ति एक गोवंश को काटने की तैयारी में थे। पुलिस वालो को देखकर वहां मौजूद बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये। पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुए तरिके से अपना बचाव कर , पुलिस द्वारा नियंत्रित फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी तथा दो अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल अभियुक्त का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम दिलशाद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बताया तथा फरार अभियुक्त के बारे में पुछा गया तो उसने उनका नाम क्रमशः1.दानिश पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2.छोटू कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ बताया। अभियुक्त दिलशाद के कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया तथा मौके से 01 अदद चापड व सुम्ही व ठीहा ,टंगारीव,एक राशि गाय बरामद किया गया। घायल अभियुक्त के जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल ईलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया। पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त दिलशाद, दिनांक 18.7.2020 को जनपद- अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली मे ग्राम सदरपुर गंजा के पास हुई पुलिस मुठभेड से सम्बन्धित मु0अ0सं0-373/2020 धारा-307 भादवि व मु0अ0सं0-376/2020 धारा- 3/5ए/8(1) उ.प्र. गोबध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 थाना अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर का वांछित व इनामिया तथा मुबारकपुर का टाप-10 अपराधी भी है। मुठभेड के दौरान उ.नि. कमल नयन दूबे प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर घायल हो गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0 177/2020 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8(1) गोवध निवा रण शंसोधन अधिनियम 2020 व 4/25 आयुध अधिनियम 2 . मु0अ0स0-178/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण –.अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोग अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सदरपुर गंजा गाँव मे अ वैध स्लाटर हाउस मे चोरी से गोवंशीय जानवर लाकर काटकर माल एकत्रित कर अपने साथियो के साथ मिलकर दिल्ली व पश्चिम बंगाल बिक्री के लिए भेजते थे। करीब डेढ महिना पहले एक ट्रक पर गोवंशीय माँस को लादा जा रहा था कि वहाँ कि पुलिस द्वारा छापा मारा गया। जिसमे हम लोगो से व पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें हमारे कुछ साथी पकडे गये मै व मेरा भाई दानिश पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ वहाँ से भाग गये थे। उसी मुकदमे मे हाजिर होने के लिए मेरे पास पैसा नही था इसीलिए मै अपने भाई दानिश पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ व छोटू कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को साथ लेकर घुम रही एक गाय को पकड लिये। उसी गाय को काटकर उसके माँस को बेचकर जो रूपया मिलता उसे मै वकील को हाजिर व जमानत के लिए देता। माँस को खरीदने के लिए कुछ लोग आने वाले थे जिसे मेरा भाई दानिश ही जानता है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 177/2020 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8(1) गोवध निवारण शंसोधन अधिनियम 2020 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

2.मु0अ0स0-178/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

दिलशाल पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-373/2020 धारा-307 भादवि थाना अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर।
2. मु0अ0सं0- 376/2020 धारा- 3/5ए/8(1) उ.प्र. गोबध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 थाना अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर
3. मु0अ0सं0- 377/2020 धारा- 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर।
4. मु0अ0सं0- 378/2020 धारा - 3 महामारी अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

5. मु0अ0सं0 177/2020 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8(1) गोवध निवारण शंसोधन अधिनियम 2020 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

6 .मु0अ0स0-178/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1. अभियुक्त दिलशाद के कब्जे से एक अदद तमन्चा,एक अदद जिन्दा कारतूस तथा 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

2.घटनास्थल से - 01 अदद चापड , एक सुम्ही, एक अदद टंगारी , एक अदद ठीहा लकडी का व 1 राशि गाय

फरार अभियुक्त

1. दानिश पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

2. छोटू कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर मय हमराह आजमगढ।

उ.नि. कमल नयन दूबे थाना मुबारकपुर मय हमराह जनपद आजमगढ।